(ख) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस फैक्टरी को पुनः चलाने के लिए कोई नई योजना तैयार की है और उसे बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो बी०आई०एफ० आर० ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड, जिसका सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाना है, को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यशील पूंजी की सुविधाएं दी थीं। किन्तु, गारंटी का नवीनीकरण नहीं होने पर बैंक संबंधी लेन-देन 1-7-1988 से बन्द कर दिए गए थे।

राज्य सरकार तथा कंपनी द्वारा किए गए पत्राचार के आधार पर, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने एक पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को प्रचालक ऐजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। आई आर बी आई द्वारा तैयार की गयी योजना तथा मामले के सभी संबंद्ध पहलुओं व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, बोर्ड की विशेष पीठ अपनी 30 जनवरी, 1989 की सुनवाई में प्रथम दृष्टि में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन जोय्यक्षम नहीं बनाया जा सकता है, अतः इसे समाप्त कर देना न्यायोचित होगा।

इस एकक को बन्द कर देने के बारे में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 30 जनवरी, 1989 को दिए गए आदेश को एकक के एक प्रवर्त्तक द्वारा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण में चुनौती दी गयी थी। अपील प्राधिकरण ने अपने तारीख 12.6.1989 के आदेश में यह मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इसके द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए वापस भेज दिया था।

बी आई एफ आर ने अपने 25 जुलाई, 1989 के आदेश द्वारा आई आर बी आई को अपील प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना तैयार करने का निदेश दिया था। आई आर बी आई ने अपनी संशोधित रिपोर्ट बी आई एफ आर को प्रस्तुत कर दी है। इस मामले की पिछली सुनवाई 21-3-1990 को हुई थी, जबकि आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। चूंकि बी आई एफ आर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

Writ petition by A.I. against Chief Labour Commissioner (Central)

2268. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India filed a writ petition in the Delhi High Court against the Chief Labour Commissioner (Central);

(b) if so, whether Government have authorised Air India to file this writ petition against Government; and

(c) if not, who has authorised Air India to file such a writ petition?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Air India has filed a writ petition in the Delhi High Court against the orders passed by the Appellate Authority under the provisions of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

(b) and (c) Permission to the Government is required only when Appeal is filed against an award of an Industrial Tribunal or a Labour Court. This Writ falls into a different category.